समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबन्धन शाखा)
पत्रांक ..../आ0प्र0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी
मधेपुरा जिला।

मधेपुरा, दिनांक ....

विषय :- मुख्य शीर्ष-2245 अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों के लिए उपावंटित की गयी राशि का नियमानुकूल व्यय करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य शीर्ष-2245 अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों के लिए उपावंटित की गयी राशि के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किन-किन कार्यो पर व्यय किया जा सकता है। जनसंख्या निष्क्रमण, खाद्यान की आपूर्ति, निःसहायो एवं विकलांगों को नगद अनुदान का भुगतान, पेयजल की आपूर्ति, चारे की पूर्ति, पशुओं के लिए दवा, क्षतिग्रस्त जलापूर्ति एवं मलप्रवाह नालों की मरम्मति/प्रत्यस्थापन, मानव दवा एवं चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु, मद में किन-किन कार्यो पर व्यय किया जा सकता है, इसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है (अनु0-1)।

मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत मद में जो भी व्यय किया जाय उसके लिए जिला नजारत अथवा जिला निर्वाचन शाखा द्वारा निर्धारित दर पर हीं किया जाय। उक्त दर सूची जिले के वेवसाईट पर अपलोड कर दी गयी है।

वाहनों के अधिग्रहण हेतु विगत लोक सभा निर्वाचन-2014 के समय निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक मे हीं भुगतान की जाय। विधिवत लॉग-बुक का संधारण किया जाय। लॉग-बुक यदि उपलब्ध नहीं हो तो उसका प्रारूप जिले के वेवसाईट पर अपलोड किया गया है, उसकी सहायता से लॉग-बुक की कम्प्युटराईज्ड प्रति संधारित की जाय। वाहन के ईधन एवं अग्रिम मद में व्यय की गयी राशि का विपत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है (अनु0-2)। वाहनों के प्रकार के आधार पर प्रतिदिन का किराया तथा प्रति लीटर ईंधन की खपत संबंधित निदेश भी निर्वाचन के समय उपलब्ध कराया गया था, उसी के अनुरूप व्यय किया जाय। खाद्यान के परिवहन हेतु भारतीय खाद्य निगम/राज्य खाद्य

निगम/ स्थानीय डिलर के गोदाम से चलने वाले राहत शिविर केन्द्रों की दूरी का आकलन कर नियमानुकूल भुगतान किया जाय।

नाव का किराया एवं नाविकों की मजदूरी मद में व्यय की गयी राशि का भुगतान परवाना एवं लॉग-बुक के आधार पर किया जाय। लॉग-बुक का सत्यापन प्रतिदिन तथा प्रति फेरा प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों द्वारा किया जाना अनिवार्य है। नावों का परिचालन चिन्हित स्थलों के बीच हीं किया जाय। यदि चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उन स्थलों का पर्यवेक्षिय पदाधिकारियों से सत्यापन करवाकर सरकारी कर्मी/चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करते हुए परवाना निर्गत किया जाय। नाव एवं नाविक के मद में भुगतान हेतु प्रपत्र-IX का दैनिक प्रतिवेदन अनिवार्य है।

व्यय से संबंधित सभी अभिश्रव के साथ संबंधित साक्ष्यों का होना आवश्यक है। व्यय का सत्यापन प्रखण्डों के लिए प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए एवं बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए व्यय किया जाय।

विश्वासभाजन

05/08/14

प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।	अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।	जिलाधिकारी मधेपुरा।

ज्ञापांक ....260......./अ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक ...05-08-14.........

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज /जिला नजारत उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

05/08/14

प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा।	अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, मधेपुरा।	जिलाधिकारी मधेपुरा।